LOANFRONT

VAIBHAV VYAPAAR

CIN: U51909WB2009PTC133054

ऋण समझौता

ब्यौरा	विवरण
नाम	
माता-पिता या पति या पत्नी का नाम	
जन्म तिथि	
लिंग	
वैवाहिक स्थिति	
पेशा	
राष्ट्रीयता	
आवासीय स्थिति	
पहचान प्रमाण पत्र	
पैन	
स्थायी पता	
स्थायी पते का प्रमाण पत्र:	
वर्तमान पता	
सीकेवाईसी नंबर:	
फ़ोन नंबर	
ईमेल आईडी	
बैंक का नाम	

बैंक खाता संख्या	
आईएफएससी	
जब उधारकर्ता से संपर्क नहीं किया जा सके तो संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया जाना चाहिए	
सम्बंधित व्यक्ति का नाम	
संबंध का प्रकार	
संबंधित व्यक्ति का फ़ोन नंबर (यह नंबर ओटीपी का उपयोग करके मान्य किया गया है)	

ऋण की शर्तों का सारांश

ऋण आईडी/क्रम संख्या.	
शहर	

मैं एतद्द्वारा निबंधन और शर्तों के साथ-साथ ऋण आईडी _____("ऋण") के सारांश और मुख्य तथ्य विवरण सहित सभी तथ्यों को समझता हूं, जिसे निम्नलिखित ऋणदाता द्वारा अपनी आंतरिक नीतियों और कानून के अनुसार अनुमोदित किया जा सकता है जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

1. मैसर्स वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 18, रबिन्द्र सारणी, पोद्दार कोर्ट, तीसरी मंजिल, गेट नंबर 2, कार्यालय कमरा नंबर 325, कोलकाता - 700001, पश्चिम बंगाल, भारत है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय # नंबर 1, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, डोमलूर लेआउट, डोमलूर पोस्ट ऑफिस के पास, बेंगलुरु - 560071, कर्नाटक, भारत है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में भी पंजीकृत है, जिसका आरबीआई पंजीकरण संख्या: N-05.06869 दिनांक 18-08-2010 और CIN नंबर: U51909WB2009PTC133054 तथा इसकी आधिकारिक वेबसाइट के साथ: https://vaibhan-vyapaar.com ("ऋणदाता") है।

मुख्य तथ्य विवरण (ऋण सारांश)

क्र. स..	ब्यौरा	विवरण
1.	दिनांक	
2.	प्लेटफार्म (डीएलए)	**www.loanfront.in**
3.	आवेदक का नाम	
4.	ऋणदाता का नाम (आरई)	वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
5.	ऋण की राशि	भारतीय रुपया (आईएनआर)
6.	ऋण की पूरी अवधि के दौरान कुल ब्याज प्रभार	भारतीय रुपया (आईएनआर)

7.	जीएसटी के बिना अन्य अग्रिम प्रभार (क+ख+ग+घ+ड.+च)	भारतीय रुपया (आईएनआर)
क.	प्रोसेसिंग शुल्क + प्रौद्योगिकी शुल्क	भारतीय रुपया (आईएनआर)
ख..	ऋण करार शुल्क	भारतीय रुपया (आईएनआर)
ग..	क्रेडिट पुनर्मूल्यांकन शुल्क	
घ.	बीमा शुल्क	भारतीय रुपया (आईएनआर)
ड	सेवा शुल्क	
च .	आजीवन पंजीकरण शुल्क	भारतीय रुपया (आईएनआर)
छ .	उपरोक्त शुल्क हेतु जी.एस.टी	भारतीय रुपया **2 (**एकत्रित शुल्क का **18%)**
8.	निवल संवितरित राशि	भारतीय रुपया (आईएनआर)

9.	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	भारतीय रुपया (आईएनआर)
10.	वार्षिक निर्धारित ब्याज दर	..... % प्रति वर्ष
11	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) - प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (आईआरआर दृष्टिकोण और शेष राशि को कम करने की विधि का उपयोग करके निवल संवितरित राशि पर गणना की गई)	%
12	ऋण की अवधि (महीनों में)	
13	उधारकर्ता द्वारा चुकौती की आवृत्ति	मासिक
14	चुकौती की किस्तों की संख्या	
15	चुकौती की प्रत्येक किस्त की राशि	

16	विराम अवधि	
17	ऋण का उद्देश्य	
आकस्मिकता के बारे में विवरण		
18	दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति	
19	चेक बाउंस	
20	चेक की अदलाबदली	
21	विलंबित भुगतान के मामले में विलंब शुल्क (प्रत्येक ईएमआई के लिए एकमुश्त अतिदेय शुल्क)	
22	विलंबित भुगतान के मामले में वार्षिक दंडात्मक शुल्क की दर (नियमित ब्याज दर के अलावा)	
23	ई-एनएसीएच/यूपीआई अधिदेश पंजीकरण शुल्क	
24	ई-एनएसीएच/यूपीआई अधिदेश भुगतान बाउंस शुल्क**	
25	चुकौती के लिए सुविधा शुल्क	
26	पूर्ण और आंशिक पूर्वभुगतान शुल्क	
27	पूर्वभुगतान शुल्क	
	(i) किसी किस्त का पूर्व भुगतान/आंशिक पूर्व भुगतान (ii) पूर्ण पूर्वभुगतान	
28	रिकॉल शुल्क (ऋण वितरण के बाद दिनों की संख्या के आधार पर गणना)	

29	मोचन निषेध शुल्क	
अन्य प्रकटीकरण		
30.	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए प्राधिकृत एलएसपी का विवरण	
31.	शिकायत निवारण अधिकारी नाम पदनाम फ़ोन नंबर पता	सत्या मल्लिडी शिकायत निवारण अधिकारी **6366828598** नंबर **1**, ग्राउंड फ्लोर, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, डोम्लुर लेआउट, डोम्लुर पोस्ट ऑफिस के पास, बेंगलुरु, कर्नाटक **560071**

* यदि कोई उधारकर्ता ऋण जारी नहीं रखने का निर्णय लेता है, तो विराम अवधि/लॉक-अप अवधि डिजिटल ऋण से बाहर निकलने की समय सीमा है। विराम अवधि/लुक-अप अवधि के दौरान उधारकर्ता मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकल सकते हैं। उधारकर्ता निर्दिष्ट विराम अवधि/लॉक-अप अवधि के भीतर ऋण से बाहर निकलने का अनुरोध support@loanfront.in पर प्रस्तुत कर सकता है।

** यदि ग्राहक के खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं होने के कारण ऑटो डेबिट (ई-एनएसीएच या यूपीआई मैंडेट हमारे साथ पंजीकृत है) विफल हो जाता है, तो लोन फ्रंट बकाया राशि के विरुद्ध पंजीकृत खाते से ऑटो-डेबिट का प्रयास करेगा। लोन फ्रंट अगले 30 दिनों के भीतर कई बार ऑटो डेबिट का पुनः प्रयास करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसलिए, ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते में ऋण की बकाया राशि के ऑटो-डेबिट को कवर करने के लिए पर्याप्त धनराशि है।

मैं, उधारकर्ता, ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूं:

पैन कार्ड या फॉर्म 60*	
पिछले 3 महीने का बैंक विवरण या अन्य आय प्रमाण	
निवास प्रमाण पत्र	
(पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/मास्क्ड आधार/ड्राइवर लाइसेंस/कागज रहित आधार)	

आय की घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा नीचे दी गई जानकारी एवं विवरण सत्य, सही हैं और मैंने उनमें से कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है;

क. मेरी मासिक आय .....रु. है।
ख. मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमारी वार्षिक घरेलू आय _____ (_____ रुपये) से अधिक है।

ग्राहक अभिस्वीकृति

मैं स्वीकार करता हूं, समझता हूं और इस बात से सहमत हूं कि ऋणदाता ने जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण को अपनाया है, जो कि मेरे वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल जैसे व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखकर ही तय किया गया है। मैं ऊपर सूचीबद्ध सभी शर्तों को समझ चूका हूं और एतद्द्वारा उक्त ऋण के लिए आवेदन करता हूं। मैं ऋण से संबंधित अंतर्निहित और स्पष्ट, आकस्मिक और गैर-आकस्मिक लागतों जो उधारकर्ता द्वारा देय है जिसे उपर्युक्त मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में विनिर्दिष्ट किया गया है, को स्वीकार करता हूं, समझता हूं और सहमत हूं। ऋणदाता ऐसे कोई शुल्क या प्रभार नहीं लेगा, जिसका उल्लेख ऋण अवधि के दौरान किसी भी चरण में केएफएस में नहीं किया गया है। मैं यह भी समझता हूं और स्वीकार करता हूं कि लागू जीएसटी के साथ प्लेटफॉर्म शुल्क का भुगतान **वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (वीवीपीएल)** को किया जाएगा, जिसका जीएसटी नंबर - **29AACCV9481D1ZY** है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि आवेदन की स्वीकृति ऋणदाता पर ऋण स्वीकृत करने के लिए कोई बाध्यता नहीं रखती है।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मुझे ऋणदाता द्वारा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है जिन्हें पहचान और पते का प्रमाण स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा स्वेच्छा से उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सभी पहलुओं में सत्य, सही और पूर्ण है। यदि मेरे द्वारा ऋणदाता और/या उनके सेवा प्रदाताओं को कोई गलत जानकारी प्रदान की जाती है या प्रस्तुत की जाती है, तो मैं ऋणदाता या उनके किसी भी निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट, सेवा प्रदाता आदि को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा और उनमें से प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए नुकसान, लागत, व्यय आदि के लिए क्षतिपूर्ति दिलाऊंगा।

स्व घोषणा

1. मैं, ऋण की मानक शर्तों और सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों ("एमआईटीसी") शर्तों और इस ऋण के प्रयोजनों के लिए ऋणदाता द्वारा साझा किए गए किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेज़ से बाध्य होने के लिए सहमत हूं। उधारकर्ता (ओं) यह दर्शातें है कि (**i**) प्रत्येक उधारकर्ता, उसके निदेशक/साझेदार (यदि कोई हो) को दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और न ही उनके खिलाफ कोई दिवाला/दिवालियापन कार्यवाही शुरू की गई है; और (**ii**) इस आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है। उधारकर्ता को ऋणदाता और/या उसकी समूह कंपनियों और/या उसके एजेंटों द्वारा मुझे किसी भी माध्यम से (टेलीफोन कॉल, एसएमएस/ईमेल, पत्र आदि सहित) ऋणदाता और/या उसकी समूह कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न उत्पादों, प्रस्तावों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऋणदाता और/या उसकी समूह कंपनियों और/या उसके एजेंटों को प्राधिकृत करता है।
2. मैं पुष्टि करता हूं कि '**नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री**' में संदर्भित अवांछित संप्रेषण के संबंध में '**भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण**' द्वारा विनिर्धारित कानून मुझ पर ऐसी सूचना/संप्रेषण पर लागू नहीं होंगे। उधारकर्ता सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ऋणदाता अपने विवेक से, स्वयं या प्राधिकृत व्यक्तियों, वकील, एजेंसियों, ब्यूरो आदि के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेडिट संदर्भ, रोजगार विवरण की जांच कर सकता है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार क्रेडिट योग्यता निर्धारित करने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।
3. मैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड और भारतीय रिजर्व बैंक सहित तीसरे पक्षकारों और /या भारत सरकार का कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी या अधिकारी से उधारकर्ता की केवाईसी और क्रेडिट संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता और ऐसे तीसरे पक्षों (जैसा आवश्यक हो) द्वारा ऋणदाता को दी गई सहमति को स्वीकार करता हूं और यह भी सहमति देता है कि ऋणदाता, स्वयं या प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से, दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेडिट संदर्भ, रोजगार विवरण की जांच कर सकता है और समय-समय पर उधारकर्ता की वास्तविकता और/या क्रेडिट योग्यता निर्धारित करने के लिए केवाईसी संबंधित दस्तावेज या क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।
4. मैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या आरबीआई या ऐसे किसी अन्य तीसरे पक्ष की सहमति को स्वीकार करता हूं जो ऋणदाता के साथ उधारकर्ता के संबंध में जानकारी साझा करने के लिए सहमत है।
5. मैं पुष्टि करता हूं और सहमत हूं कि मुझे ऋणदाता या उसकी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा अपने सहयोगियों, विनियामक निकायों, सरकार और क्रेडिट एजेंसियों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान और साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जो आवश्यक हो सकते हैं।**6.** मैं पुष्टि करता हूं और सहमत हूं कि मैं अंग्रेजी भाषा में निबंधन और शर्तें पढ़ और समझ सकता हूं। मैं सभी दस्तावेज़/पत्राचार अंग्रेज़ी भाषा में प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ।
7. मैं पुष्टि करता हूं कि मुझे ऋणदाता द्वारा अन्य दस्तावेजों के बारे में सूचित किया गया है जो मेरी पहचान और पते के प्रमाण स्थापित करने के लिए मेरे आधार नंबर के अलावा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हालाँकि, मैंने स्वेच्छा से अपना आधार नंबर उपलब्ध कराने का विकल्प चुना है।**8.** मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इन संवितरण शर्तों को मेरी स्वीकृति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप समय-समय पर किसी भी सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना/दिशा-निर्देश सहित किसी भी लागू कानून का उल्लंघन नहीं होगा।**9.** मैं यह दर्शाता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी और विवरण और मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सत्य, सही हैं और मैंने ऋणदाता से कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है और मैं उसमें किसी भी बदलाव के बारे में ऋणदाता को तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं और मैंने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है जो मुझे ऋण स्वीकृत करने/देने में ऋणदाता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी करने वाली पाई जाती है, तो मुझे पता है कि इसके लिए मुझे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
10. मैंने समय-समय पर मिलने वाले ऋण पर लागू होने वाली फीस और शुल्कों को पढ़ और समझ लिया है।**11.** मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे खिलाफ बकाया राशि की वसूली के लिए कोई दिवाला/दिवालियापन कार्यवाही या मुकदमा शुरू नहीं किया गया है और/या लंबित है।
12. मैं एतद्द्वारा ऋणदाता को अपनी स्पष्ट सहमति देता हूं और ऋणदाता को ऋण सेवा प्रदाता/डिजिटल ऋण आवेदन जिन्हें ऋण और/या संबंधित प्रस्तावों या अन्य उत्पादों/सेवाओं जिन्हें मैं समय-समय पर ऋणदाता को लागू कर सकता हूं, के वितरण के दौरान और बाद में जिन्हें आवश्यकतानुसार या उचित समझे जाने पर अपने कार्यों को अंजाम देने की आवश्यकता हो सकती है, के साथ मेरे ऋण से संबंधित जानकारी, दस्तावेजों और विवरणों का आदान-प्रदान या साझा करने के लिए अधिकृत करता हूं।
13. मैं समझता हूं कि, ऋणदाता मेरी क्रेडिट सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव दे सकता है, और इस संबंध बढ़ी हुई क्रेडिट सीमा को स्वीकार

करने के लिए मुझे एक विकल्प प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, मैं यह भी समझता हूं कि, क्रेडिट सीमा में वृद्धि/कमी ऋणदाता की आंतरिक क्रेडिट नीति के आधार पर होगी। ऋण राशि वितरित करने से पहले मुझे ऐसी संशोधित ऋण राशि की विधिवत सूचना दी जा रही है।

14. मैं समझता हूं और इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुख्य तथ्य विवरण/स्वीकृति पत्र जारी करने के बावजूद मेरे ऋण के वितरण से इनकार करने का ऋणदाता के पास पूर्ण विवेकाधिकार है।

15. मैं समझता हूं और स्वीकार करता हूं कि ऋणदाता को ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड (सीआईबीआईएल) और/या किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी और/या किसी अन्य सरकारी/विनियामक/सांविधिक या निजी एजेंसी/इकाई, क्रेडिट ब्यूरो, भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई"), सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को मेरे आधार से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने का अधिकार होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी (संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी सहित), ऋण के संबंध में विवरण, डिफ़ॉल्ट, प्रतिभूति आदि शामिल है और साथ ही इसमें समय-समय पर जानबूझकर चूक करने वालों की सूची के हिस्से के रूप में नाम प्रकाशित करना, साथ ही केवाईसी सूचना सत्यापन, क्रेडिट जोखिम विश्लेषण, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग करना शामिल है। मैं स्वीकार करता हूं और इस बात से सहमत हूं कि ऐसा प्रत्येक पक्ष अपने विवेकानुसार मेरी द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग कर सकता है, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल है, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित है।

16. मैं सहमत हूं और स्वीकार करता हूं कि इनमें से कोई एक या दोनों ऋणदाता अपने विवेक से, स्वयं या प्राधिकृत व्यक्तियों, वकील, एजेंसियों, ब्यूरो आदि के माध्यम से दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं, क्रेडिट संदर्भ, रोजगार विवरण की जांच कर सकते हैं और और समय-समय पर ऋण पात्रता निर्धारित करने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

17. मैं स्वीकार करता हूं और समझता हूं कि मेरे उचित प्राधिकार के तहत कार्य करते हुए, ऋणदाता ने मेरी ओर से मेरी क्रेडिट जांच की है और क्रेडिट सूचना कंपनी या अन्यथा के माध्यम से मेरी क्रेडिट पात्रता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्वीकृति पत्र जारी करते समय मेरी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त की है।

18. मैंने किसी अन्य बैंक/वित्त कंपनी से कोई ऋण नहीं लिया है जब तक कि मेरे द्वारा विशेष रूप से घोषित न किया गया हो।**19.** मैं इस बात का प्रतिनिधित्व करता हूं और सहमत हूं कि धनराशि का उपयोग ऊपर विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग किसी भी अवैध, सट्टेबाजी या असामाजिक उद्देश्य या लागू कानून या आरबीआई नियमों के तहत निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

20. मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मेरी वार्षिक घरेलू आय **300000** रुपये (तीन लाख रुपये) से अधिक है, यानी औसतन **25000** रुपये (पच्चीस हजार रुपये) प्रति माह से अधिक है। इस घोषणा के प्रयोजन के लिए, मैंने अपनी, अपने पति-पत्नी और अपने अविवाहित बच्चों की आय पर विचार किया है।

21. मैंने ऊपर सूचीबद्ध किसी भी और सभी लागू करों सहित शुल्कों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और स्वीकार कर लिया है।

22. मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत ऋण की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए ऋणदाता से संपर्क किया है और ऋणदाता के किसी भी प्रतिनिधि ने मुझे ऋण के लिए आवेदन करने के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बल नहीं दिया है या प्रेरित नहीं किया है।

23. मैं सहमति देता हूं कि मेरी पहचान, पुनर्भुगतान क्षमता के सत्यापन और/या नियत तिथि पर भुगतान करने में विफलता सहित मेरे द्वारा संवितरण शर्तों के उल्लंघन के मामले में संग्रह प्रयास करने के लिए मेरे द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ संपर्कों से संपर्क किया जा सकता है।

24. मैं समझता हूं और स्वीकार करता हूं कि इस ऋण सारांश के तहत ऋण पर ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई ईएमआई की कोई भी रोक या स्थगन उनके पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा और इस संबंध में मेरे द्वारा कोई आपत्ति या विरोध नहीं किया जाएगा।

25. कंपनी अधिनियम, **2013** के प्रावधानों के तहत यथा विचारित, मैं न तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से ऋणदाता के निदेशकों से संबंधित हूं और आरबीआई के लागू केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार मैं राजनीतिक रूप से उजागर किया गया व्यक्ति नहीं हूं।

26. मैं एतद्द्वारा अपनी स्पष्ट सहमति देता हूं कि ऋण सेवा प्रदाता क्रेडिट सूचना कंपनियों से मेरी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) प्राप्त करने के लिए अधिकृत है और यदि ऋण के आवेदन के दौरान सीआईआर खरीदने का विकल्प लिया जाता है, तो सीआईआर खरीदने का शुल्क वितरित/स्वीकृत ऋण राशि से काट लिया जाएगा।

मैं एतद्द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त पुष्टि करता हूं कि मैंने ऋणदाता द्वारा अनुमोदित इस ऋण पर लागू मानक नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मैं ऋण सारांश की प्रत्येक शर्तों और ऋण के वितरण के लिए मानक नियमों और शर्तों को पढ़ने, विश्लेषण करने, समझने और स्वीकार करने के बाद इस ऋण सारांश को स्वीकार करता हूं।

Name and signature of the borrower:

मानक नियम और शर्तें

उधारकर्ता विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र जमा करके ऋण के लिए आवेदन कर सकता है और ऋणदाता पक्षकारों (एक साथ **लेनदेन दस्तावेज़** के रूप में संदर्भित) के बीच आदान-प्रदान किए गए आवेदन पत्र (त्रों), ड्रॉडाउन अनुरोध (धों) और एमआईटीसी के साथ पढ़े गए इन निबंधन और शर्तों (**मानक शर्तों**) के अधीन इस तरह के ऋण (ऋण के लिए आवेदन किया है) देने के लिए सहमत हो सकता है। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि आवेदन की स्वीकृति ऋणदाता पर ऋण स्वीकृत करने के लिए कोई दायित्व नहीं रखती है।

1.

परिभाषाएं

इन मानक शर्तों में, जब तक कि विषय या उसके संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, नीचे सूचीबद्ध अभिव्यक्ति, यदि लागू हो, के निम्नलिखित अर्थ होंगे;

i."**खाता**" का आशय बैंक खाता/कोई अन्य प्रासंगिक खाता से है जहां ऋण संवितरण का अनुरोध किया जाता है और विशेष रूप से आवेदन पत्र या ड्रा डाउन अनुरोध के तहत प्रदान किया जाता है।

ii."**वार्षिक प्रतिशत दर**" का आशय ऋण की सभी समावेशी लागत से है, जिसमें उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क, देर से भुगतान शुल्क आदि जैसे आकस्मिक शुल्कों को छोड़कर, धन की लागत, क्रेडिट लागत और परिचालन लागत, प्रसंस्करण शुल्क, सत्यापन शुल्क, रखरखाव शुल्क इत्यादि शामिल हैं।

iii."**आवेदन प्रपत्र**" का आशय ऋण के लिए आवेदन करने और उसका लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को प्रस्तुत किया गया ऋण आवेदन पत्र, साथ ही ऋण के संबंध में समय-समय पर उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई अन्य सभी जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाएं, यदि कोई हो से है।

iv. "**उपलब्धता अवधि**" का आशय ऋण (या ऐसी विस्तारित तारीख जिसे ऋणदाता अपने विवेक से अनुमोदित कर सकता है) की संस्वीकृति की तारीख से 1 (एक) महीने की अवधि से है।

v."**कार्यदिवस**" का आशय एक दिन (शनिवार या रविवार के अलावा) से है जिस दिन बेंगलुरु में बैंक सामान्य व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं।

vi."**कूलिंग ऑफ अवधि**" का आशय ऋण के संवितरण की तारीख से उस समय की अवधि से है जिसके भीतर उधारकर्ता बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके ऋण वापस करने या रद्द करने के बारे में अपना मन बदल सकता है।

vii."**ड्राडाउन अनुरोध**" का आशय ऋण के संवितरण की मांग के लिए ऋणदाता द्वारा स्वीकार्य रूप और तरीके से किया गया अनुरोध से है।

viii."**नियत तिथि**" का आशय ऐसी तारीख(तारीखों) से है जिस पर ऋणदाता द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट लेनदेन दस्तावेजों (या अन्यथा) की शर्तों के तहत कोई भी भुगतान देय हो जाता है।

ix."**सुविधा**" का आशय है उधारकर्ता द्वारा आवेदन किया गया ऋण और इसमें क्रेडिट लाइन के तहत लागू संभावित ऋण शामिल होगा जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को प्रदान किया जा सकता है।

x."**बढ़ी हुई लागत**" का आशय निम्न से है

क. ऋण या ऋणदाता की कुल पूंजी पर वापसी की दर में कमी (ऋणदाता द्वारा आवंटित की जाने वाली अधिक पूंजी के कारण पूंजी पर वापसी की दर में किसी भी कमी के परिणामस्वरूप)।

ख. प्रावधान सहित कोई अतिरिक्त या बढ़ी हुई लागत, जैसा कि आरबीआई नियमों या समय-समय पर ऐसे किसी भी अन्य नियमों के तहत आवश्यक हो सकता है या निर्धारित किया जा सकता है।

ग. लेनदेन दस्तावेजों के तहत देय और संदेय किसी भी राशि में कमी;

xi."**किस्त**" का आशय ऋण की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण का परिशोधन करने के लिए आवश्यक लेन-देन दस्तावेजों में निर्दिष्ट मासिक भुगतान की राशि से है।

xii."**ब्याज**" का आशय इस संवितरण शर्तों के अनुसार बकाया राशि पर उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय ब्याज से है।

xiii. "**ऋण**" का आशय उधारकर्ता द्वारा आवेदन की गई और संवितरण शर्तों के अनुसार ऋणदाता द्वारा विधिवत स्वीकृत की गई ऋण की राशि से है।

xiv."**ऋण सारांश**" का आशय उधारकर्ता द्वारा आवेदन की गई ऋण की राशि और संवितरण शर्तों के अनुसार ऋणदाता द्वारा विधिवत स्वीकृत राशि से है।

xv."**एमआईटीसी**" का आशय इस संवितरण शर्तों के "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न संवितरण शर्तों के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों से हैं।

xvi."**गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)**" का आशय है सावधि ऋणों के संबंध में ब्याज भुगतान के मामले में, एक खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि विनिर्दिष्ट अंतराल पर लागू ब्याज 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहता है।

xvii."**पूर्वभुगतान शुल्क**" नई बकाया शेष राशि और मौजूदा बकाया शेष के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान ऋण की किस्त/आंशिक पूर्व भुगतान के मामले में उधारकर्ता द्वारा पूर्व भुगतान शुल्क के रूप में किया जाएगा। इस परिभाषा के प्रयोजन हेतु।

xviii."**नया बकाया शेष राशि**" का आशय ऋण के तहत किसी भी किस्त के पूर्व भुगतान के बाद और उसके बाद शेष बकाया शेष राशि से होगा।

xix."**मौजूदा बकाया शेष राशि**" का आशय उस बकाया शेष राशि से है जो ऋण के तहत संबंधित किस्त के पूर्व भुगतान से पहले भुगतान किया जाना शेष था, जैसा कि ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत दर्शाया गया है। xx. "**बकाया शेष राशि**" का आशय है सामूहिक रूप से मूलधन, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिफ़ॉल्ट शुल्क/अतिरिक्त ब्याज, कोई अन्य शुल्क, देय राशि और संदेय धनराशी, लागत और व्यय, प्रतिपूर्ति योग्य राशि, जो समय-समय पर बकाया है और उनमें से कोई भी राशि ऋण के संबंध में देय है या नहीं।

xxi. "**पुनर्भुगतान**" का आशय डिफ़ॉल्ट शुल्क / अतिरिक्त ब्याज या अन्यथा, प्रतिबद्धता और / या किसी भी अन्य शुल्क, शुल्क या ऋणदाता को लेनदेन दस्तावेजों के संदर्भ में देय अन्य देय राशि सहित किस्तों के माध्यम से ब्याज सहित ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान से है।

xxii. "**पुनर्भुगतान अनुसूची**" का आशय ऋण के पुनर्भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया से है जिसमें ऋण के पुनर्भुगतान की सटीक देय तिथियों, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज के बीच अंतर, किसी भी अन्य शुल्क, प्रभार या "अनुलग्नक ख" के रूप में संलग्न ऋणदाता को लेनदेन दस्तावेजों के संदर्भ में देय अन्य देय राशियों का विवरण शामिल है।

xxiii. "**संस्वीकृति प्राधिकारी**" का आशय किसी भी एजेंसी या व्यक्ति से है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित (बिना किसी सीमा के) प्रतिबंधों को लागू करने, प्रशासन करने, लागू करने और/या लागू करने के लिए विधिवत नियुक्त, शक्ति प्राप्त या प्राधिकृत है।**xxiv "विशेष उल्लेख खाता (एसएमए)"** का आशय एक ऐसा खाता है जो प्रारंभिक स्थिति में दबाव के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता अपने ऋण दायित्वों को समय पर चुकाने में चूक कर रहा है, हालांकि खाते को अभी तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। **Xxv "अवधि"** का आशय

लेन-देन दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट ऋण की समय अवधि से होगी।

xxvi. "**लेन-देन दस्तावेजों**" में इस ऋण के संबंध में उधारकर्ता को जारी किया गया स्वीकृति पत्र, ऋण सारांश, संवितरण शर्तें और मानक शर्तें और ऋणदाता द्वारा लेनदेन दस्तावेजों के रूप में नामित ऐसे अन्य दस्तावेज शामिल होंगे।**xxvii.** "**कर**" का आशय है कोई भी कर, वस्तु एवं सेवा कर ("जीएसटी"), आरोपित कर, लगान, शुल्क या अन्य शुल्क या समान प्रकृति (भुगतान करने में किसी भी विफलता या भुगतान में किसी देरी के संबंध में देय कोई जुर्माना या ब्याज सहित) का रोक; और पूंजीकृत शब्दों को यहां परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो आवेदन पत्र या ड्राडाउन अनुरोध के तहत ऐसे शब्दों के लिए निर्धारित है;

2. व्याख्या

इन मानक शर्तों में उपयोग किए गए लेकिन यहां परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो ऋण सारांश के तहत ऐसे शब्दों में दिया गया है।

3. ऋण का संवितरण

3.1 उपलब्धता अवधि के दौरान, ऋणदाता उधारकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार, उधारकर्ता को एक या अधिक किस्तों में ऋण वितरित करेगा।

3.2 उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण वितरित किया जाएगा यदि (क) डिफ़ॉल्ट की कोई घटना घटित नहीं होती है, और (ख) ऋणदाता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और (ग) उधारकर्ता लेनदेन दस्तावेजों की सभी शर्तों से सहमत है।

3.3 कि, कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान, उधारकर्ता बिना किसी जुर्माने के मूल राशि और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर का भुगतान करके अपने निकास विकल्प का लाभ उठा सकता है। हालाँकि, बाहर निकलने के विकल्प का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता को उस बैंक खाते की एक प्रति जमा करनी होगी जिसमें ऋण राशि वितरित की गई थी, साथ ही यह शपथ पत्र भी देना होगा कि ऋण राशि का उपयोग कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा नहीं किया गया था।

3.4 ऋण के लिए स्वीकृति पत्र देने के बाद उधारकर्ता का अनुरोध अपरिवर्तनीय है, जब तक कि ऋणदाता द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है।

3.5 सभी पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि के अधीन, ऋणदाता खाते में ऋण वितरित करेगा और उधारकर्ता पुष्टि करता है कि ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा और लेनदेन दस्तावेजों के तहत शर्तों के अधीन होगा। ऋणदाता द्वारा खाते में किया गया ऐसा कोई भी संवितरण (चाहे उधारकर्ता या किसी तीसरे पक्ष के नाम पर) दोनों ऋणदाताओं द्वारा सह-उत्पन्न ऋण होगा।

3.6 कि कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर का भुगतान करके बिना किसी दंड के स्वीकृत डिजिटल ऋण से बाहर निकला जा सकता है, हालांकि वापसी के पात्र होने के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान ऋण राशि को रद्द कर दें, उधारकर्ता को उस बैंक खाते की एक प्रति जमा करनी होगी जिसमें उक्त ऋण राशि वितरित की गई थी, साथ ही यह शपथ पत्र भी देना होगा कि ऋण राशि का उपयोग कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा नहीं किया गया था।

4. ऋण पर ब्याज

4.1 ऋण उपर्युक्त ऋण सारांश में विनिर्दिष्ट ब्याज दर के अधीन होगा।

4.2 डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, उधारकर्ता ऋण सारांश और/या अन्य लेनदेन दस्तावेजों में उल्लिखित डिफ़ॉल्ट शुल्क, और किसी भी अन्य लागू शुल्क (प्लस जीएसटी) के साथ ऋणदाता की मांग पर अतिदेय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यह दायित्व भुगतान की मूल नियत तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक (लेकिन शामिल नहीं) तक विस्तारित हुआ है।

4.3 उधारकर्ता इसे स्वीकार करता है और इससे सहमत है कि **(i)** लेन-देन दस्तावेजों में निर्दिष्ट ब्याज दरें उचित हैं और वे उधारकर्ता द्वारा कोई भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा होने वाले अपेक्षित नुकसान का वास्तविक पूर्व अनुमान हैं; और **(ii)** उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज दर मौद्रिक नीतियों के आधार पर संभावित रूप से परिवर्तन के अधीन होगी, जैसा कि आरबीआई और ब्याज को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

5. ऋण की चुकौती और समयपूर्व भुगतान

5.1 उधारकर्ता को नीचे दिए गए पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा।

5.2 जहां संबंधित देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता को पूर्ववर्ती व्यावसायिक दिन पर भुगतान करना होगा।

5.3 उधारकर्ता द्वारा किया गया भुगतान स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय निधि के रूप में किया जाएगा, जो किसी भी सेट-ऑफ,

काउंटर दावे या किसी कटौती के अधीन नहीं होगा। उधारकर्ता ऋणदाता को किए जाने वाले भुगतान से स्रोत पर कोई कर नहीं काटेगा या नहीं रोकेगा।

5.4 ऋणदाता, किसी भी समय, ऋण के असंवितरित हिस्से को रद्द कर सकता है, यदि कोई हो, और डिफ़ॉल्ट की घटना की स्थिति में मांग पर वितरित ऋण के किसी भी या सभी हिस्से को वापस भी ले सकता है। इस तरह वापस बुलाने पर, ऋणदाता द्वारा निर्धारित ऋण और अन्य राशियाँ तुरंत देय होंगी।

5.5 उधारकर्ता ऋण के तहत मूल राशि का पुनर्भुगतान ऐसे अनुपात और आवधिकता में करेगा जैसा लेनदेन दस्तावेजों में प्रदान किया जा सकता है या ऋणदाता द्वारा समय-समय पर सूचित किया जा सकता है।

5.6 यदि उधारकर्ता नियत तिथि पर देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उधारकर्ता नियत तिथि से लेकर यहां उल्लिखित ऋण की सभी राशियों के पुनर्भुगतान की तारीख तक अतिदेय राशि पर अन्य डिफ़ॉल्ट शुल्क के साथ-साथ ऋण सेवा प्रदाता को देर से भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस खंड के तहत अर्जित कोई भी लागू ब्याज मौजूदा अतिदेय ईएमआई में शामिल किया जाएगा और ईएमआई राशि के साथ देय होगा।

5.7 यदि उधारकर्ता नियत तारीख से पहले ऋण का पूर्व भुगतान करना चुनता है, तो पूर्व भुगतान ऋण सारांश में सूचीबद्ध पूर्व भुगतान शुल्क के साथ-साथ किसी भी अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा जो पूर्व भुगतान के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

6. प्रतिनिधित्व और वारंटी

6.1 उधारकर्ता ऋणदाता को प्रतिनिधित्व करेगा और गारंटी देगा:

क. उधारकर्ता सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है और वह लेन-देन दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सक्षम है और उसने सभी आवश्यक प्राधिकार (जो पूरी तरह से प्रवृत्त और प्रभाव में हैं) प्राप्त कर लिए हैं;

ख. लेन-देन संबंधी दस्तावेज़ लागू कानूनों के अनुसार उनकी संबंधित शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य उधारकर्ता के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करते हैं;

ग. उधारकर्ता द्वारा किये गए करार, वितरण और निष्पादन, और लेन-देन दस्तावेजों द्वारा विचार किए गए लेन-देन में टकराव नहीं है और न ही होगा: (क) किसी भी कानून के साथ; (ख) किसी भी दस्तावेज़ के साथ जो उधारकर्ता पर या उसकी किसी भी संपत्ति पर बाध्यकारी है;

घ. ऋणदाता को बताई गई सीमा को छोड़कर, उधारकर्ता या उसकी संपत्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही लंबित नहीं है या इस संबंध में कोई धमकी नहीं दी गई है, जो प्रतिकूल रूप से विनिर्धारित होने पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा, उधारकर्ता ने कोई कार्रवाई नहीं की है और उसके शोध क्षमता, दिवालियापन के लिए किसी भी न्यायालय/अन्य प्राधिकरण में उसके द्वारा या उसके खिलाफ कोई अन्य कदम नहीं उठाया गया है या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

ङ. उधारकर्ता द्वारा या उसकी ओर से ऋणदाता को संप्रेषित या आपूर्ति की गई सभी जानकारी, चाहे समय-समय पर ऋण सेवा प्रदाता के माध्यम से हो या सीधे हो, जिस तारीख को इसे संप्रेषित या आपूर्ति किया गया था, उस तारीख को सभी मामलों में सत्य और निष्पक्ष/सत्य, सही और पूर्ण हैं; और (ख) ऋणदाता को संचार या किसी भी जानकारी की आपूर्ति की तारीख से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो ऐसी जानकारी को किसी भी संबंध में असत्य या भ्रामक बनाता हो;

6.2 इसमें निर्धारित प्रत्येक अभ्यावेदन को ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन दोहराया गया माना जाएगा।

7. प्रसंविदा

7.1. वह सभी लागू कानूनों और लेनदेन दस्तावेजों के तहत उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

7.2 उसे ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा नामित किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी/दस्तावेज तुरंत, लेकिन **2** व्यावसायिक दिनों के भीतर प्रदान करना होगा। इसके अलावा, उधारकर्ता यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि ऋणदाता को प्रदान की गई सभी जानकारी/दस्तावेज़ ऋण की अवधि के दौरान हर समय सत्य, वैध और सही रहेंगे।

7.3 उसे ऋण सारांश के अनुसार ऋण और बकाया राशि का विधिवत भुगतान करना होगा और साथ ही उधारकर्ता, ऋणदाता द्वारा की गई मांग की तारीख से **3** (तीन) व्यावसायिक दिनों के भीतर, ऋणदाता द्वारा व्यय की गई किसी भी बढ़ी हुई लागत की राशि का भुगतान करेगा, जो ऋणदाता की एकमात्र राय में उचित है। उधारकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) या राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) अधिदेश सहित सभी भुगतान आदेश प्रदान करने होंगे, जब भी ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा नामित किसी तीसरे पक्ष द्वारा मांग की जाएगी।

7.4 वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऋणदाता से प्राप्त ऋण और लेनदेन दस्तावेजों के तहत उल्लिखित दायित्व कम से कम उधारकर्ता द्वारा अन्य बैंकों, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त अन्य ऋणों के बराबर हों।

7.5 उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि निम्नलिखित क्रम में समायोजित की जाएगी: **(i)** सर्वप्रथम लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार ऋणदाता द्वारा की गई लागत, शुल्क और खर्च; **(ii)** दूसरे, विलंबित भुगतान पर डिफ़ॉल्ट ब्याज के लिए; **(iii)** तीसरा लेन-देन दस्तावेजों के तहत देय नियमित ब्याज हेतु और **(iv)** अंत में लेनदेन दस्तावेजों के तहत देय किसी भी मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए।

7.6 वह/वह इस बात से अवगत है कि ईमेल, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग, वेबसाइट, एप्लिकेशन, ऑनलाइन स्वीकृति इत्यादि ("इलेक्ट्रॉनिक मीडिया") जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से इन निबंधन और शर्तों, अनुदेशों, स्वीकृतियों और संप्रेषण ("संप्रेषण") के प्रसारण में धोखाधड़ी वाले परिवर्तन और गलत प्रसारण और गोपनीयता का अभाव सहित कई जोखिम शामिल हैं। तथापि, उधारकर्ता इन लेनदेन दस्तावेजों और उसके संचालन के तहत विभिन्न मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऋणदाता से संचार प्राप्त करने और संचार प्रदान करने का इच्छुक है, और सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि किसी भी गलत या अनुचित संप्रेषण या ऐसे संप्रेषण से होने वाले नुकसान के लिए उधारकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा।

7.7 उधारकर्ता किसी भी अभ्यावेदन, वारंटी, प्रसंविदा, वचनबंध या इन मानक शर्तों या किसी अन्य लेन-देन दस्तावेज़ की किसी भी अन्य शर्तों, या डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने पर, साथ ही इसका समाधान करने के लिए उठाए गए कदम के साथ ऋणदाता को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा। उल्लंघन की सूचना मिलने पर, ऋणदाता, कानून या संविदा के तहत अपने किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार से ऐसे उल्लंघन को ठीक करने के लिए सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन की अनुशंसा उस रूप, तरीके और समय में कर सकता है जो ऋणदाता के लिए आवश्यक या वांछनीय हो।

7.8 उधारकर्ता को ऋणदाता के अनुरोध पर तुरंत, लेकिन **5** दिनों के भीतर, ऋणदाता द्वारा अपेक्षित कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज़/जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

7.9 उधारकर्ता यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि ऋण की अवधि के दौरान ऋणदाता को प्रदान की गई सभी जानकारी हर समय सत्य, वैध और सही रहेगी।

7.10 उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से और बिना किसी शर्त के ऋणदाता से प्राप्त धन/उत्पाद/सेवाओं के दुरुपयोग के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता धन का उपयोग केवल वैध उद्देश्य के लिए करेगा, जैसा कि ऋण सारांश में विनिर्दिष्ट है।

7.11 उधारकर्ता निम्न कार्य नहीं करेगा:

7.11.1 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से: (क) किसी भी व्यक्ति/देश के साथ या उसकी गतिविधियों के वित्तपोषण के उद्देश्य से किसी भी लेनदेन में ऋण का उपयोग करें, जो वर्तमान में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्वीकृति के अधीन है; और (ख) किसी भी गतिविधि, उत्पादन, उपयोग, व्यापार, वितरण में भाग लेना या वित्तपोषण करना, या अन्यथा किसी बहिष्करण सूची में शामिल होना; और

7.11.2 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी भुगतान, उपहार या अन्य लाभ प्रदान करें या पेश करें जिसका उद्देश्य सद्भावना, निष्पक्षता या विश्वास की अपेक्षा के उल्लंघन में कार्य करने या अन्यथा अपने कार्य को अनुचित तरीके से करने के लिए किसी व्यक्ति (चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या नहीं) को प्रभावित करना या पुरस्कृत करना है या करता है।

7.11.3 किसी भी रियल एस्टेट गतिविधियों, पूंजी बाजार, इक्विटी बाजार में निवेश करने और किसी वैयक्तिक ऋण/आवास ऋण/रुपये ऋण को चुकाने या कार्यशील पूंजी या सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निधि का उपयोग करने हेतु निधियों का उपयोग करना।

8. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

उधारकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित घटनाओं (इसके बाद इसे "डिफॉल्ट की घटना" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में से किसी भी घटना के घटित होने पर चूक की होगी, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:

क. लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता नियत तिथि पर ऋण की राशि और किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है;

ख. उधारकर्ता द्वारा किया गया या दिया गया समझा जाने वाला कोई भी अभ्यावेदन, वारंटी, घोषणा, पुष्टि या बयान या किसी लेन-देन दस्तावेज़ के तहत या उसके संबंध में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी किसी भी भौतिक संबंध में गलत या भ्रामक साबित होती है या बनाई गई या मानी जाती है।

ग. पागलपन या किसी अन्य परिस्थिति के मामले में जिसके कारण उधारकर्ता अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कानूनी रूप से अक्षम हो जाता है;

घ. जहां उधारकर्ता असमर्थ है या घोषित कर चुका है कि वह देय होने पर अपने किसी भी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है;

ङ. उधारकर्ता को किसी भी दंडात्मक/आपराधिक अपराध या नैतिक अधमता के अपराध के लिए किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार/विनियामक/पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा दोषी ठहराया गया है।

9. डिफ़ॉल्ट की घटना के परिणाम

डिफ़ॉल्ट की किसी घटना के घटित होने पर, उस स्थिति में ऋणदाता के पास यहां वर्णित अधिकार और लागू कानून के तहत उपलब्ध अधिकार होंगे, साथ ही इस समझौते के अनुसार बनाए गए किसी भी सुरक्षा दस्तावेज़ के तहत अधिकार होंगे:**a.** किसी भी असंवितरित ऋण को रद्द करें।

क. घोषणा करें कि ऋण का पूरा या आंशिक हिस्सा, अर्जित ब्याज सहित, और लेनदेन दस्तावेजों के तहत अर्जित या बकाया सभी अन्य राशियां तुरंत देय और संदेय होंगी, जिसके बाद वे तुरंत देय और संदेय हो जाएंगी।

ख. ऋण की चुकौती में तेजी लाएं।

ग. किसी भी अन्य अधिकार का प्रयोग करें जो ऋणदाता के पास लेनदेन दस्तावेजों या लागू कानून के तहत हो सकता है।

10. क्षतिपूर्ति

उधारकर्ता सभी लागतों, दावों, क्षतियों, खर्चों, जुर्माने, नुकसानों, देनदारियों और जुर्माने आदि के विरुद्ध ऋणदाता को क्षतिपूर्ति देगा और उसे हानिरहित रखेगा, जिसमें अटॉर्नी की फीस और खर्च, और लेन-देन दस्तावेजों के तहत ऋणदाता द्वारा सीधे तौर पर अर्जित, किए गए या भुगतान करने वाले अन्य सभी खर्च शामिल हैं, जो लेन-देन दस्तावेजों के तहत उल्लिखित किसी भी प्रतिनिधित्व, संविदा और दायित्वों के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं।

क. लागत और व्यय उधारकर्ता कानूनी और दस्तावेज़ीकरण शुल्क, लेनदेन दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों (अपनी जेब से खर्च सहित) का भुगतान करेगा।

ख. उधारकर्ता को सभी अटॉर्नी की फीस और अन्य सभी लागतों और खर्चों का भुगतान करना होगा जो लेन-देन दस्तावेजों के तहत किसी मुकदमे के मामले में ऋणदाता द्वारा किए जा सकते हैं।

11. **गोपनीयता:**

उधारकर्ता संवितरण शर्तों, लेनदेन दस्तावेजों और ऋण के हिस्से के रूप में ऋणदाता के साथ आदान-प्रदान किए गए अन्य पत्राचार में बताए गए सभी निबंधन और शर्तों को गोपनीय रखने का वचन देता है और ऋणदाता के पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं करने के लिए सहमत है। तथापि, ऋणदाता को सभी लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए प्राधिकारियों और सरकारी निकायों और अन्य ब्यूरो (क्रेडिट ब्यूरो सहित) तथा और इन संवितरण शर्तों, लेन-देन दस्तावेजों और ऋणदाता के साथ आदान-प्रदान किए गए अन्य पत्राचार के तहत अपने किसी भी अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं और अन्य तृतीय पक्षों को उधारकर्ता के विवरण का खुलासा करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि ऐसा प्रकटीकरण लागू कानूनों के अनुपालन में हो, जिसमें आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश और व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण की सुरक्षा के लिए अधिनियमित कोई भी अधिनियम शामिल है।

12. विविध:

12.1. ऑनलाइन लेनदेन:

12.1.1. उधारकर्ता के संचालन में सुगमता के लिए, उधारकर्ता के पास ऋणदाता द्वारा विनिर्दिष्ट ऑनलाइन सुरक्षित ऋण सेवा प्रदाताओं का उपयोग करके ऋणदाता (इसके बाद इसे "ऑनलाइन ऋण" कहा जाएगा) द्वारा प्रदान की जाने वाली आगे की सुविधाओं के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा। ऑनलाइन ऋण उधारकर्ता को ऋणदाता के पूर्ण विवेकाधिकार पर दिया जाएगा, बशर्ते कि उधारकर्ता ऋणदाता के क्रेडिट मापदंडों का अनुपालन करे और ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए फॉर्म में ऋणदाता द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करें।

12.1.2. यह सुनिश्चित करना उधारकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि उधारकर्ता के किसी भी खाते के संबंध में एक्सेस कोड, भले ही ऋणदाता ऋण सेवा प्रदाता या पोर्टल के साथ खोला गया हो, किसी अन्य व्यक्ति / तीसरे पक्ष के साथ समझौता या साझा नहीं किया जाता है।

12.1.3. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है और स्वीकार करता है कि उसने ऑनलाइन ऋण के उपयोग के लिए लागू शर्तों को पढ़ा और समझा है और ऐसे ऑनलाइन ऋण की अवधि के दौरान हर समय ऐसे निबंधन और शर्तों (समय-समय पर ऋणदाता द्वारा संशोधित) से बाध्य रहेगा।

12.1.4 ऋणदाता के पास ऑनलाइन ऋण के माध्यम से उधारकर्ता से प्राप्त या कथित तौर पर प्राप्त किए गए है या एक्सेस कोड के सत्यापन

के माध्यम से के अलावा कथित तौर पर उधारकर्ता द्वारा भेजे गए किसी भी लेनदेन/निर्देश की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

12.1.5. ऑनलाइन ऋण के उपयोग से उत्पन्न ऋण के लिए ऑनलाइन अनुरोध के संबंध में ऋणदाता के सभी रिकॉर्ड लेनदेन की वास्तविकता और सटीकता का निर्णायक प्रमाण होंगे। जबकि ऋणदाता अनुदेशों को तुरंत पूरा करने का प्रयास करेगा, वे किसी भी कारण से अनुदेशों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जिसमें परिचालन प्रणालियों की विफलता या कानून की किसी भी आवश्यकता शामिल है।

12.1.6. उधारकर्ता पूर्व-अनुमोदित प्रस्ताव की उपलब्धता की जांच कर सकता है जो ऋणदाता द्वारा ऑनलाइन ऋण के माध्यम से दिया जा सकता है। ऋणदाता द्वारा कोई भी पूर्व-अनुमोदित प्रस्ताव उधारकर्ता को ऋण/ऋण का अनुदान नहीं माना जाता है और समय-समय पर ऋणदाता द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

12.1.7. उधारकर्ता अभिस्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता ऑनलाइन ऋण के तहत अनुमत संचालन के प्रकार को संचालित करने के लिए सही एक्सेस कोड और अन्य विवरण उद्धृत करने वाले किसी को भी अनुमति दे सकता है।

12.2. नोटिस

12.2.1. किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला या किया जाने वाला कोई भी नोटिस या अनुरोध लिखित रूप में होगा। ऐसा नोटिस या अनुरोध उस पक्ष द्वारा विधिवत प्राप्त हुआ माना जाएगा जिसे वह संबोधित किया गया है यदि यह नीचे निर्दिष्ट पते पर या ऐसे अन्य पते पर दिया गया है जिस पर समय-समय पर सहमति हो सकती है।

12.2.2. इसके अनुसरण में कोई भी नोटिस यदि डाक/कूरियर/टेलीग्राम/प्रतिकृति ट्रांसमिशन/ई-मेल द्वारा उधारकर्ता के ऊपर उल्लिखित पते/पते पर भेजा जाता है तो उसे विधिवत दिया गया माना जाएगा और उसे तामील किया जाएगा या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में उधारकर्ता को विधिवत सूचित करना और ई-मेल/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अलावा अन्य ऐसे नोटिस को पोस्टिंग की तारीख या प्राप्ति की वास्तविक तारीख के बाद दूसरे कार्य दिवस, जो भी पहले हो, से प्रभावी माना जाएगा। यदि नोटिस ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जाता है,तो नोटिस तब तामील हुआ माना जाएगा जब ऐसे पढ़े जाने वाले नोटिस की प्रासंगिक रसीद दी जाती है, या जहां भेजने के समय ऋणदाता द्वारा कोई पढ़ी गई रसीद का अनुरोध नहीं किया जाता है।

12.2.3. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है और स्वीकार करता है कि उसने ऑनलाइन ऋण के उपयोग के लिए लागू शर्तों को पढ़ा और समझा है और ऐसे ऑनलाइन ऋण की अवधि के दौरान हर समय ऐसे निबंधन और शर्तों (समय-समय पर ऋणदाता द्वारा संशोधित) से बंधा रहेगा।

12.3 लेन-देन दस्तावेज़ों या उसके निर्माण या अनुप्रयोग या लेन-देन दस्तावेज़ों के अंतर्गत निहित किसी भी खंड या चीज़ के संबंध में या उससे संबंधित या उससे जुड़े पक्षों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद, दावों और प्रश्नों की स्थिति में या किसी भी खाते के संबंध में और इसके अंतर्गत किसी भी पक्ष के कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों के संबंध में या किसी पार्टी के किसी कार्य या चूक के संबंध में या लेनदेन दस्तावेजों से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में या लेन-देन दस्तावेजों के तहत किसी भी पार्टी के अधिकार, कर्तव्य और देनदारियों के संबंध में, ऐसे विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या किसी भी सांविधिक संशोधन या कुछ समय के लिए उसका पुन: अधिनियमन, ऐसी मध्यस्थता को ऐसी संस्था के विवाद समाधान नियमों ("नियम") के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त स्वतंत्र संस्था के माध्यम से या तो भौतिक रूप से या किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशासित किया जाता है के अनुसार मध्यस्थता द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा।

12.4 पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि उपरोक्त कार्यवाही नियमों के तहत नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा की जाएगी। मध्यस्थता की न्यायिक सीट बेंगलुरु, भारत में होगी। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून होगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता की अपनी लागत वहन करेगा, हालांकि हारने वाली पार्टी मध्यस्थता आदेश में प्रदान की गई मध्यस्थता के संबंध में जीतने वाली पार्टी द्वारा किए गए खर्च के संबंध में विजेता पार्टी या पार्टियों की प्रतिपूर्ति करेगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा। उपरोक्त के अधीन, बेंगलुरु की सक्षम अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा। ऋणदाता, उधारकर्ता के साथ किसी भी अन्य समझौते के तहत अपने किसी भी विशिष्ट अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार पर, लेन-देन दस्तावेजों के तहत दिए गए ऋण के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए ऋणदाता या उसकी किसी सहायक/संबद्ध/सहयोगी कंपनी के कब्जे में उधारकर्ता (चाहे अकेले या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से)के किसी भी अन्य धन, राशि, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्ति को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। उधारकर्ता पोर्टल/ऋण सेवा प्रदाता पर ऑनलाइन ऋण प्राप्त कर सकता है।

12.3 शासी कानून

12.3.1 लेन-देन संबंधी दस्तावेज़ भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझे जाएंगे और लेन-देन दस्तावेज़ों के संबंध में और/या उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में बैंगलोर की अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

12.3.2 **छूट:** ऋणदाता किसी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग अपने विवेक से और अलग से या समवर्ती रूप से किसी अन्य अधिकार, शक्ति या उपाय के साथ कर सकता है। इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का उपयोग करने में उधारकर्ता की ओर से कोई भी विफलता या देरी छूट के रूप में काम नहीं करेगी, और न ही यहां किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उधारकर्ता द्वारा किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्तियों या विशेषाधिकारों के प्रयोग को रोकेगा।

12.3.3 **पृथक्करणीयता:** यदि लेन-देन दस्तावेजों का कोई भी प्रावधान पूर्ण या आंशिक रूप से अमान्य या अप्रवर्तनीय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसी अमान्यता या अप्रवर्तनीयता केवल ऐसे प्रावधान या ऐसे प्रावधान के हिस्से से जुड़ी होगी और ऐसे प्रावधान का शेष भाग और लेनदेन दस्तावेजों के अन्य सभी प्रावधान पूरी ताकत और प्रभाव में बने रहेंगे।

12.3.4 नोटिस: दिए जाने वाले सभी नोटिस, अनुरोध, सहमति, छूट या अन्य संप्रेषण लिखित रूप में होंगे और पंजीकृत या प्रमाणित मेल रिटर्न रसीद, या उधारकर्ता द्वारा दिए गए पते पर इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा दिए जाएंगे, जब तक कि पते में कोई बदलाव लिखित रूप में नहीं किया जाता है। प्राप्ति की तारीख को वह तारीख माना जाएगा जिस दिन नोटिस या संचार दिया गया है।

12.4 अन्य निबंधन और शर्तें एवं नीतियाँ

ऋणदाता और आरई/डीएलए की गोपनीयता नीति और निबंधन एवं शर्तें यहां देखी जा सकती हैं

https://www.loanfront.in/privacy-policy.html
https://www.loanfront.in/VulnerabilityDiscloserPolicy.html
https://www.loanfront.in/terms-conditions.html
https://www.loanfront.in/collection_policy.html

13. शिकायत निवारण तंत्र

उधारकर्ता ऋण सेवा प्रदाता, ईएमआई अनुसूची, ऋण प्रकार, प्रोसेसिंग शुल्क और/या किसी अन्य शुल्क या ऋण से संबंधित किसी भी अन्य समस्या को नीचे दिए गए वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उठा सकते हैं। अद्यतन शिकायत निवारण नीति की जानकारी के लिए कृपया **https://vaibhans-vyapaar.com/grievance-redressal-policy.html** पर देखें।

ग्राहक/उधारकर्ता किसी भी प्रश्न/समस्या या शिकायत के मामले में हमारे ग्राहक सहायता से संपर्क कर सकता है। ग्राहक/उधारकर्ता यह कर सकता है:

13.1. **वाइस का समर्थन**

ग्राहक हमें सोमवार से शनिवार तक सुबह **10:00** बजे से शाम **7:00** बजे के बीच ग्राहक सेवा **080-48126351** पर कॉल कर सकते हैं।

13.2. ई - मेल समर्थन

कृपया हमें अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी से **support@loanfront.in** पर लिखें (कृपया ईमेल में अपना ऋण खाता नंबर और संपर्क नंबर का उल्लेख करना सुनिश्चित करें)। ग्राहक को **3** व्यावसायिक दिनों के भीतर टीम से प्रतिक्रिया प्राप्त होगी, लेकिन ऐसे उदाहरण भी होंगे जहां टीम को प्रतिक्रिया/उत्तर देने में अधिक समय भी लग सकता है।

13.3. **शिकायत निवारण अधिकारी**

उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सभी शिकायतों को सबसे पहले शिकायत निवारण अधिकारी को संबोधित करें। शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया हैं:

नाम: श्री सत्य मल्लीदी,
संचालन प्रमुख,
ई-मेल आईडी: **satya@vaibhan-vyapaar.com**
पता: नंबर **1**, ग्राउंड फ्लोर, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, डोम्लुर लेआउट, डोम्लुर पोस्ट ऑफिस के पास, बेंगलुरु, कर्नाटक **560071**

शिकायत निवारण अधिकारी से ऊपर दिए गए नंबर पर सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह **10:00** बजे से शाम **6:00** बजे के बीच और शनिवार को सुबह **10:00** बजे से शाम **5:00** बजे के बीच या ऊपर दिए गए ई-मेल पते के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से **14** (चौदह) दिनों की अवधि के भीतर शिकायत निवारण करने का प्रयास करेगा।

13.4. लोकपाल से शिकायत

यदि शिकायत/विवाद का निवारण इसकी प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ग्राहक यहां अपील कर सकता है:

उप महाप्रबंधक,
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,
भारतीय रिजर्व बैंक,
15, नेताजी सुभाष रोड,
कोलकाता- 700001.
ईमेल करें: **cms.odtkolkata@rbi.org.in**.

एस्केलेशन मैट्रिक्स

एस्केलेशन का स्तर	एस्केलेशन	वाइस	ईमेल आईडी
प्रथम स्तर	ग्राहक सहायता	080-48126351	support@loanfront.in
द्वितीय स्तर	ग्राहक सहायता प्रमुख	6366828598	vvpl.compliance@vaibhav-vyapaar.com (or)grievance@loanfront.in
तृतीय स्तर	संचालन प्रमुख	9513493927	satya@vaibhav-vyapaar.com

संग्रहण/वसूली की शर्तें

कंपनी की महत्वपूर्ण संग्रहण नीतियां निम्नलिखित हैं

1. यदि किसी भी ईएमआई पुनर्भुगतान में 30 दिनों से अधिक की देरी होती है तो ऋण को "डिफ़ॉल्ट" माना जाता है।
2. नियत तारीख के बाद यदि ईएमआई भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो हमारे संग्रह एजेंट आपको इसकी याद दिलाने के लिए टेलीफोन के माध्यम से पहुंचेंगे।
3. वसूली में देरी होने के मामले में, यदि ग्राहक 15 दिनों से अधिक समय तक हमारे संग्रह एजेंटों से टेलीफोन या ईमेल संचार के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाता है तो हमारी टीम ऋण आवेदन में साझा किए गए संदर्भ नंबरों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
4. ऋण ईएमआई के 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, एनबीएफसी के पास ग्राहक को कानूनी नोटिस भेजने और समग्र ऋण वापसी का संकेत देने और बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. यदि ग्राहक संपर्क योग्य नहीं है या जानबूझकर भुगतान नहीं कर रहा है तो एनबीएफसी क्रेडिट ब्यूरो को ऋण को "विलफुल डिफॉल्ट" के रूप में रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सबसे महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें (एमआईटीसी)

1. हम नीचे वर्णित ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र दिनांक __ 2023-12-21 10:30:16 आईएसटी __ **("आवेदन पत्र")** का संदर्भ करते हैं।
2. पूंजीकृत शब्दों का उपयोग किया गया है लेकिन यहां परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ अन्य लेनदेन दस्तावेजों में दिए गए शब्द के अनुसार होगा।
3. उधारकर्ता स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि ऑनलाइन ड्रॉडाउन अनुरोध में उल्लिखित जानकारी जो उधारकर्ता द्वारा लोनफ्रंट के माध्यम से उधारकर्ता के खाते का उपयोग करके अनुरोध की गई है, ऋण के लिए आवेदन में सबसे महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें हैं।
4. उधारकर्ता स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि सबसे महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें ऋण सारांश, मुख्य तथ्य विवरण और मानक शर्तों के साथ पढ़ी जाएंगी।
5. उधारकर्ता समझता है कि ऋणदाता ने जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण को अपनाया है, जो ग्राहक के वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल जैसे व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। लागू ब्याज दरें मंजूरी के समय प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती हैं। उधारकर्ता स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि ऋणदाता के पास उधारकर्ता की सहमति के बिना ऋण पर लागू ब्याज दर और अन्य शुल्कों को बदलने का विवेकाधिकार होगा।
6. उधारकर्ता स्वीकार करता है और प्रत्येक लेनदेन दस्तावेज़ की एक प्रति प्राप्त होने की पुष्टि करता है और सहमत है कि यह पत्र एक लेनदेन दस्तावेज़ है।

घोषणा

सेवा में,
वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी - 29एएसीसीवी9481डी1जेडवाई) (प्लेटफॉर्म: लोनफ्रंट)

विषय: **ड्रॉडाउन अनुरोध हेतु**

संदर्भ: प्रोस्पेक्ट न. 3 ।

मैं एतद्द्वारा आईएनआर _____ (केवल _____ रुपये) के ऋण का अनुरोध करता हूं और यह ड्रॉडाउन अनुरोध अपरिवर्तनीय है। मैं ऋण का संवितरण स्वीकार करने से इंकार नहीं करूंगा।

- ✓ मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं **वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी - 29एएसीसीवी9481डी1जेडवाई) (प्लेटफॉर्म: लोनफ्रंट)** को आईएनआर _____ (केवल .....रु.) के प्रोसेसिंग शुल्क + प्रौद्योगिकी शुल्क + ऋण करार शुल्क और लागू जीएसटी (कुल शुल्क का 18%) की कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

- ✓ मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैं **वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटी - 29एएसीसीवी9481डी1जेडवाई) (प्लेटफॉर्म: लोनफ्रंट)** को लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क **_____ रुपये** (केवल _____ रुपये) और लागू जीएसटी (कुल शुल्क का 18%) की कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

- ✓ मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने प्लेटफ़ॉर्म शुल्क के भुगतान के लिए **एनए** (**एनए** रुपये) का चेक प्रदान किया है।

भवदीय,

चुकौती अनुसूची

क़िस्त सं.	बकाया मूलधन राशि (आईएनआर)	मूलधन राशि (आईएनआर)	ब्याज (आईएनआर)	देय तिथि	क़िस्त (आईएनआर)
ईएमआई 1					
ईएमआई 2					
ईएमआई 3					
ईएमआई 4					

नोट: देय तिथि, ब्याज राशि और चुकाने योग्य राशि ऋण राशि की संवितरण तिथि के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। संवितरण तिथि के बाद चुकौती की अनुसूची वाला एक अनुलग्नक ग्राहक को भेजा जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से चुकौती के विवरण (समायोजन के अधीन) को उजागर किया जाएगा जो उपरोक्त पुनर्भुगतान अनुसूची का स्थान लेगा और वही ग्राहक को स्वीकार्य होगा।)

मांग वचन पत्र

दिनांक :
स्थान :
मैं, ग्राहक, ऋणदाता या उसके ऑर्डर को बिना शर्त और मांग पर, प्राप्त मूल्य के लिए _____ रुपये की मूल राशि का भुगतान करने का वादा करता और वचन देता हूं।
मैं आगे इस वचन पत्र में उल्लिखित मूल राशि को _____ तक पूरी तरह चुकाने का वचन देता हूं। बशर्ते, ऋणदाता या उसका आदेश इसका हकदार होगा: (क) ब्याज, जुर्माना, शुल्क और अन्य अधिरोपित ब्याज की मांग करने और चार्ज करने के अपने इरादे की सूचना दें, जैसा कि वह समय-समय पर विनिर्दिष्ट और सूचित कर सकता है, और/या (ख) मेरे द्वारा इस वचन पत्र के तहत चुकाई जाने वाली मूल राशि को कम करें।

घोषणा नोटिस

मैं _____, _____का पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी आयु ____ वर्ष, _____ में रहता हूं और यह घोषणा करता हूं कि:

क. मुझे ऋण दस्तावेजों की सामग्री और लोनफ्रंट से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक अन्य दस्तावेजों को मेरी ज्ञात भाषा में पढ़ा और समझाया गया है।

ख. मैंने इसके प्रत्येक नियम और शर्तों को समझने के बाद उपरोक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

नोट : यह ऋण किसी भी प्रकार के अधिस्थगन, स्थगन या पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं है

उधारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:_____

ऋण आवेदन अभिस्वीकृति

ऋणदाता की तिथि/हस्ताक्षर और मुहर: **वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड**

ऋणदाता मानक शर्तों (ऋण) के साथ आपके आवेदन पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करता है। हम पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर आपके आवेदन की स्थिति बता देंगे। यह इस शर्त पर निर्भर करता है कि आप ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान आवेदन पत्र में उल्लिखित या ऋणदाता द्वारा अपनी संतुष्टि के अनुसार आपको बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

हस्ताक्षरित: वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक समय: _____

पहचान संबंधी दस्तावेज़

सेल्फी

पैन कार्ड

आधार